न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 51/2022 बउनवानी संतोष कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिल0 कलेक्टर स0मा0 निवासी मु.पो. वजीरपुर तहसील वजीरपुर

GCMS No-2022/ 99

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
29.7.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 31.5..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. ग्राम पंचायत वजीरपुर मे प्रहलाद दास स्वामी चेला रघनाथ दास के नाम जारी बन्दूक का लाईसेंस कब जारी हुआ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे। 2. ग्राम पंचायत वजीरपुर मे प्रहलाद दास स्वामी चेला रघुनाथदास स्वामी के नाम बंदूक का लाईसेंस कब सलेण्डर किया गया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे। 3. ग्राम पंचायत वजीरपुर में कल्याण दास स्वामी चेला रघुनाथदास स्वामी के नाम जारी बंदूक का लाईसेंस कब जारी हुआ है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे। 4. ग्राम पंचायत वजीरपुर सन् 1960 से 2000 तक बंदूक के लाईसेंस किन लोगो को दिये गये व कितने –कितने लोगो के सरेण्डर हुए उनकी प्रमाणित प्रति देवे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/एफ.2(124)/सूकाअ/606 दिनांक 1.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा आदेश कमांक, दिनांक का उल्लेख नही किया है इसलिए विशिष्टिहीन सूचना खोजकर दिया जाना सम्भव नही है तथा चाही गयी सूचनाओ मे कोई लोकहित भी प्रकट नही हो रहा है। इसलिए चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 7 (9) के तहत देय नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 31.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा आदेश कमांक, दिनांक अंकित नही है तथा विशिष्टिहीन सूचना खोजकर दिया जाना सम्भव नही है तथा चाही गयी सूचनाओ मे कोई लोकहित भी प्रकट नही हो रहा है [illegible] ऐसी सूचनाऐं अधिनियम की धारा 7 (9) के तहत देय नही है। इसलिए अपील [illegible] की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:29:42 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर